

अति आवश्यक / आज ही

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 28.12.2011

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषय:- चिकित्सकों के पदस्थापन बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा दिनांक 27.12.2011 को नवनियुक्ति पर 600 चिकित्सा अधिकारियों का पदस्थापन कर नवनियुक्त चिकित्सकों को आपके कार्यालय में कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

उक्त संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि इन नवनियुक्त चिकित्सकों के बारे में यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि इन्होंने अपनी इन्टर्नशिप पूरी कर ली है। इन्टर्नशिप पूरी नहीं करने वाले चिकित्सकों को कार्यग्रहण नहीं करावें।


विभाग द्वारा आपको उपलब्ध करवाये गये नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों में से जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालयों हेतु एक ही स्थान पर 4 से 5 चिकित्सक उपलब्ध कराकर चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,


(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 3- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 4- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 5- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 6- प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।
- 7- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली


शासन उप सचिव